सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04 / 18 **निर्णय दिनांकः– 21.06.2019**

1. मांगीदेवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी सोनियासर गोदारन तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31–01–2018
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर

उपस्थिति :–

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर के आदेश दिनांक 31–01–2018 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील गैरकानूनी तरीके से खारिज की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से रोही मौजा बापेऊ के खसरा नम्बर 807, 808 एवं 809 में कुल रकबा 3. 06 हेक्टर खातेदारी भूमि है। अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 809 तादादी 2.61 हेक्टर के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 804 रकबा 1.98 हेक्टर गैर मुमकिन तलाई है दोनों रकबों के मध्य बहुत बड़ी पाल जिसमें खींप, आक एवं फोग आदि प्राकृतिक घास उगे हुए है। जिसे किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जा सकता तथा अपीलांट अपनी

खातेदारी भूमि पर ही काश्त कर रहा है। उसके द्वारा कभी भी सींव तौड़ कर खसरा नम्बर 804 में नाजायज काश्त नहीं की है क्योंकि उसके खातेदारी खेत के चारों और पट्टियॉ रोपी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलंट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से रोही मौजा बापेऊ के खसरा नम्बर 807, 808 एवं 809 में कुल रकबा 3.06 हेक्टर खातेदारी भूमि है। अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 809 तादादी 2.61 हेक्टर के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 804 रकबा 1.98 हेक्टर गैर मुमकिन तलाई है। अपीलांट द्वारा कभी भी सींव को तोड़कर खसरा नम्बर 804 में नाजायज काश्त नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 804 में नाजायज काश्त बताई गई है। जोकि स्पष्ट रूप से गलत रिपोर्ट है। तहसीलदार व पटवारी अपीलांट की खसरा नम्बर 809 में खड़ी फसल को बर्बाद करने पर उतारू है। इस स्थिति का आभास अपीलांट को होने पर अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण अन्य तहसीलदार के समक्ष स्थानान्तरण करने का निवेदन किया गया था। उक्त तथ्य की जानकारी तहसीलदार को होते हुए भी अपीलांट को बिना सुने तथा उक्त प्रकरण अन्य तहसीलदार को स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र जैरकार होते हुए भी अपीलांट के विरूद्व धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही का निर्णय पारित कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 804 की फसल बताकर खसरा नम्बर 809 की फसल को नष्ट करने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। उक्त आदेश पर अपीलांट द्वारा उसकी दिनांक अर्थात 15—12—2016 को ही स्थगन आदेश प्राप्त करते हुए उसकी प्रति तहसीलदार को प्रेषित किये जाने पर भी संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलांट की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी कि खसरा नम्बर 804 मे कोई काश्त नहीं की गइ बल्कि खसरा नम्बर 809 को अपीलांट की खातेदारी भूमि है उसमें काश्त की गई है तथा फसल भी खसरा नम्बर 809 में ही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तहसीलदार को बचाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के हितों पर कुठाराधात किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किये गये आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खसरे के अतिरिक्त खसरा नम्बर 804 में नाजायज काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की फसल को कुर्क करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. विचाराधीन प्रकरण में पटवारी तथा भू—अभिलेख निरीक्षक बापेऊ ने दिनांक 28—11—2016 को तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक मांगीदेवी ने खसरा नम्बर 804 गैरमुमकिन तलाई के 0.70 हेक्टर रकबे पर तारबन्दी करते हुए कब्जा कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मामला दर्ज किया तथा नोटिस दिया गया।

जिसका अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया तथा साथ ही तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ से पत्रावली अन्य अधिकारी को मुन्तकिल करने की दरखवाश्त दी। उक्त कार्यवाही के एक सप्ताह के भीतर दिनांक 15—12—2016 को तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश की अपील होने पर प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपीलांट के पक्ष का विवेचन किये बिना तहसीलदार के आदेश की पुष्टि कर दी।

अपीलांट ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में उसकी खातेदारी भूमि तथा सरकार भूमि को नापकर उचित कार्यवाही की मांग करता रहा। भूमि के सीमा विवादों के निराकरण हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के लिये राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, परन्तु दोनों न्यायालयों ने सीमा विवाद पर कोइ टिप्पणी नहीं की है। इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश करने पर दिनांक 12—05—2018 को अपीलांट के खर्चे पर खसरा नम्बर 804 तथा अपीलांट की खातेदारी के पडौसी तीन खसरों का सीमाज्ञान करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये गये थे परन्तु एक साल बाद भी राजस्व अधिकारी सरकारी भूमि का नाप नहीं कराव सके।

भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी धोषित करने से पूर्व सरकार रकबे तथा पड़ौसी खसरों की नाप की जाकर अतिक्रमित रकबे की लम्बाई, चौड़ाई सहित मौके की स्थिति दशाई जाती है। तत्पश्चात् मौके व रिकार्ड तथा पड़ौसी खातेदारों से समुचित साक्ष्य लेकर अतिक्रमण साबित होने पर बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु तहसीलदार ने केवल पटवारी, गिरदावर की सरसरी सूचना को आधार बनाकर अपीलांट का पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया। प्रथम अपील न्यायालय ने भी अतिक्रमण न करने के सबूत का भार अपीलांट पर डालकर तहसीलदार के एकतरफा आदेश की पुष्टि कर दी। जबकि सबूत का भार आरोप लगाने वाले पक्ष पर था।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—12—2016 तथा 31—01—2018 मनमाना एवं एकतरफा होने के कारण निरस्त किये जाते है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तथा खसरा नम्बर 804 की सरकारी भूमि का अपीलांट की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जावे तथा अपीलांट की खातेदारी के रकबे से अधिक भूमि पर कब्जा पाये जाने पर ही बेदखली की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर